समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) की अधिसूचना

(देखें नियम 6 का उप–नियम (1))

(i) परियोजना का नाम– अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण– पावर प्लांट के स्थापना के लिए प्रोजेक्ट और अर्जन के लिए अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि का विस्तार– पोड़ैयाहाट अंचल अंतर्गत मौजा– माली थाना नं0– 27, रकवा– 167.63 एकड़ परियोजना क्षेत्र और एस0 आई0 ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र– पौड़याहाट अंचल अंतर्गत।

(ii) एस0 आई0 ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप निम्नप्रकार होगी :–

समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) समिति निदेशक, ए0एफ0सी0, इंडिया लिमिटेड, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत Detail Term of Reference के सभी शर्तो उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक– 596 / भूअ0 दिनांक– 09.09.2016 द्वारा निर्गत निदेश तथा झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2015 के नियामावली 10 अधिनियम के अतंर्गत दिये गये सभी दायित्वों को पूर्ण कराने की जिम्मेवारी होगी। मुख्य रूप से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है।

(क) प्रस्तावित परियोजना, जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी,

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,

(ङ) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु–फसली भूमि है और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,

(च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्यसंक्रांत, पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लॉट के लिए उपयोग नियत हो,

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है।

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्त्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,

19/09/2016

P.T.O.

(ञ) धृतियों का आकर, स्वामित्व पैटर्न, भूमि–वितरण, आवासीय घरों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसंपत्तियों,

(ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्त्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षो में भूमि का उपयोग

इसी प्रक्रिया के साथ–साथ रैयतों के भू–अर्जन के प्रस्ताव व सहमति की कार्रवाई की जानी है।

(iii) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन इसके प्रारंभ होने की तारीख से छह माह के अंदर प्रपत्र III में समुचित सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसकी टाईमलाईन निम्नप्रकार होगी :–

(क) अर्जनाधीन क्षेत्र का दौरा एवं रैयतों से सम्पर्क स्थापित करना :– 10 सप्ताह के अंदर।

(ख) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाली परिवारों को सूचीवद्ध करना :– 02 सप्ताह के अंदर।

(ग) समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) प्रतिवेदन एवं एस0 आई0 एम0 पी0 पर रैयती की सुनवाई :– 05 सप्ताह के अंदर।

(घ) एस0 आई0 ए0 एवं एस0 आई0 एम0 पी0 प्रतिवेदन समर्पित करना तथा प्रभावित परिवारों की सहमति प्रक्रिया :– 04 सप्ताह के अंदर।

(ङ) एस0 आई0 ए0 से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन :– 03 सप्ताह के अंदर।

उपरोक्त टाईम लाईन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से गणना की जायेगी।

(iv) इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा। एस0 आई0 ए0 इकाई की सम्पर्क सूचना निम्नप्रकार है :–

महाप्रबंधक, ई0 जे0पी0 लाल, दूरभाष नं0– 91-22-22028924, E-Mail- afcl@vsnl.com

अपर समाहर्त्ता, गोड्डा, दूरभाष नं0– 8294873800

आम जनों को किसी भी तहत की समस्या होने पर उपरोक्त दूरभाष नं0 पर सम्पर्क अथवा कार्यालय में लिखित आवेदन दे सकते है।

उपायुक्त,
गोड्डा।

P.T.O.

ज्ञापांक ......627..... / भू0अ0   दिनांक :– ...19.09.2016.....।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशक दिया जाता है कि इस अधिसूचना को वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
गोड्डा।